(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1231–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–4–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर, ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/12–13/अपील.

1– उपेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री परमेश्वरीदास चतुर्वेदी
2– प्रभाष चतुर्वेदी पुत्र स्व. श्री परमेश्वरीदास चतुर्वेदी
थनवासीगण कर्नल साहब की डयोढ़ी
लश्कर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट
द्वारा चेयरमेन ज्योतिरादित्य सिंधिया
द्वारा मु0 आम ब्रिगेडियर नरसिंह राव पवार
निवासी माण्डेर की माता
लश्कर, ग्वालियर
2– गजेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा विधिक प्रतिनिधि
A. श्रीमती नीता चतुर्वेदी पत्नी स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
B. गरिमा चतुर्वेदी पुत्री स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
C. महिमा चतुर्वेदी पुत्री स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
D. वैशाली चतुर्वेदी पुत्री स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
E. रति चतुर्वेदी पुत्री स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
F. अंकित चतुर्वेदी पुत्र स्व. गजेन्द्र चतुर्वेदी
निवासीगण आनन्द नगर, बहोड़ापुर, ग्वालियर
3– सर्वसाधारण
4. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री एस0पी0 चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अजय शर्मा,, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, लश्कर, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–4–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के आदेश दिनांक 1–6–2011 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 10/12–13/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई । दिनांक 12–4–2016 की पेशी पर अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा समय चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायहित में समय दिया जाकर दिनांक 26–4–2016 की तिथि नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि अपील में सर्वप्रथम ग्राह्यता पर सुनवाई की जाये, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी आवेदन पत्र पर एकसाथ सुनवाई कर गुणदोषों पर प्रकरण में सुनवाई करना चाहते हैं, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि सभी आवेदन पत्रों पर एकसाथ सुनवाई करने से संशय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर निराकरण करने में न तो किसी प्रकार की कोई अन्यायपूर्ण कार्यवाही होने की संभावना है और न ही विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 4 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के जिस आदेश दिनांक 12–4–16 को इस निगरानी में चुनौती दी गई है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं आबेदकगण के दिनांक 15–2–16 के अपने आवेदन पर तर्क हेतु समय चाहा गया जो कि उक्त आदेश द्वारा उसको दिया गया । इस आदेश से आवेदकगण के क्या और कैसे कोई हित प्रभावित होते हैं, यह स्पष्ट करने में आवेदक असफल रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण ने प्रकरण को जानबूझ कर लम्बित रखने के उद्देश्य से ही यह निगरानी पेश की है । सभी आपत्तियों का एक साथ निराकरण करने में क्या वैधानिक बाध्यता है, इसको भी आवेदकगण स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण का विधिवत उभय पक्ष को सुनकर शीघ्र अधिकतम दो माह में अन्तिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर